318/4.25

संख्या 1005 / बीस–8 / 2017–4(2)2017

प्रेषक

अजय रौतेला,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
उत्तराखण्ड
पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

गृह अनुभाग–8

देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

विषय :–श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में डिस्ट्रिक मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–50–2017 दिनांक 31.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में प्रशासनिक अधिकारी, विधि विज्ञान सेवा, भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या DFS/15(5)/2010/Pt. दिनांक 30.03.2011 एवं पत्र संख्या DFS/15(5)/2010/Pt. दिनांक 29.04.2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में डिस्ट्रिक मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि. इकाई पौडी द्वारा उपलब्ध कराये गये रूपये 60.59 लाख के आगणन का तकनीकी परीक्षण के उपरान्त सिविल कार्यों हेतु रूपये 57.42 लाख तथा अधिप्राप्ति के अन्तर्गत रूपये 1.36 लाख इस प्रकार कुल रूपये 58.78 लाख की धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि अर्थात कुल रूपये 58.78 लाख (रूपये अट्ठावन लाख अटहत्तर हजार मात्र) आपके अधीनस्थ संचालित "UKCOPS संस्था" से आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कार्यदायी संस्थान द्वारा आगणन में प्रावधानित धनराशि कुल रूपये 1.36 लाख के अधिप्राप्ति कार्यों हेतु "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017" के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

क्रमशः..........2

11– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U. निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

13– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

14– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

15– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय पुलिस मुख्यालय के अधीन संचालित "UKCOPS" नामक संस्था में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु संचित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 140/मतदेय/XXVII(5)/2017 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अजय रौतेला)
अपर सचिव

संख्या 1028/बीस–8/2017–4(2)2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– प्रशासनिक अधिकारी, विधि विज्ञान सेवा, भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या DFS/15(5)/2010/Pt. दिनांक 30.03.2011 के क्रम में।
3– निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
5– नोडल अधिकारी, सी.सी.टी.एन.एस पुलिस मुख्यालय देहरादून।
6– निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखण्ड देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/पौड़ी उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रोजक्ट मैनेजर, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि. इकाई पौड़ी।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– अनुभाग अधिकारी गृह अनुभाग–6 उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव